रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 292] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 26, 2002/चैत्र 5, 1924
No. 292] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 26, 2002/CHAITRA 5, 1924

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2002

संदर्भ : गृह मंत्रालय की दिनांक 17-9-1991 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 603(ई)।

का.आ. 336(अ).—यतः इस मंत्रालय की उपर्युक्त अधिसूचना के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप एवं चांगलांग जिलों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत 17-9-1991 से अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था क्योंकि, केन्द्र सरकार की राय में, उपर्युक्त जिलों में ऐसी अशांत एवं खतरनाक स्थिति व्याप्त थी कि वहां सिविल प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक हो गया था, और

2. यतः माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर विवरण में भारत सरकार ने यह कहा था कि पूर्वोक्त अधिनियम के अंतर्गत "अशांत क्षेत्रों" की घोषणा संबंधी सभी मौजूदा अधिसूचनाओं की 20-8-1997 से तीन माह की अवधि के अन्दर समीक्षा की जाए।

3. पिछली बार सितम्बर, 2001 में स्थिति की समीक्षा की गई थी और दिनांक 18-9-2001 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 932(अ) के तहत 'अशांत क्षेत्रों' के रूप में तिरप एवं चांगलांग संबंधी घोषणा के कार्यकाल को बढ़ाकर 31-3-2002 तक करने का निर्णय लिया गया था। तिरप एवं चांगलांग जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की अब आगे समीक्षा की गई है। राज्य सरकार ने कानून एवं व्यवस्था संबंधी रिपोर्टों के बारे में सूचित किया है कि इन रिपोर्टों में, समीक्षाधीन अवधि के दौरान, सुरक्षा बलों और एन एस सी एन (आई एम), एन एस सी एन (के), उल्फा के बीच हुई मुठभेड़ों, भूमिगत तत्वों द्वारा विध्वंसकारी साहित्य के वितरण, किए गए जबरन धन वसूली के प्रयासों, भूमिगत तत्वों से शस्त्र एवं गोला बारूद की बरामदगी का विवरण दिया गया है।

4. राज्य सरकार ने बताया है कि तिरप और चांगलांग में सेना और अर्ध सैनिक बल उग्रवादियों को निकाल भगाने के लिए विद्रोह-विरोधी अभियानों में लगे हुए हैं। राज्य सरकार ने यह भी सिफारिश की है कि इन दो जिलों को अशांत क्षेत्र के रूप में घोषित रहने दिया जाए।

5. उपर्युक्त को देखते हुए, केन्द्र सरकार का यह मत है कि तिरप एवं चांगलांग जिलों में स्थिति अशांत है और सिविल प्रशासन की मदद के लिए सशस्त्र बलों के प्रयोग के लिए परिस्थितियां मौजूद हैं। अतः यह निर्णय लिया जाता है कि 17 सितम्बर, 1991 की उपर्युक्त अधिसूचना, जब तक कि इसे इससे पूर्व वापिस न लिया जाए, 30 सितम्बर, 2002 तक प्रवृत रहेगी।

[फा. सं. 13/27/99-एम जैड]

सुरेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव (एन ई)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2002

Ref. : Ministry of Home Affairs' Notification No. S.O. 603(E) dated 17-9-1991.

S.O. 336(E).—Whereas Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 vide this Ministry's Notification referred to above, as, in the opinion

of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary, and

2. Whereas in a statement filed before the Hon'ble Supreme Court, the Government of India had stated that all current notifications regarding declaration of "disturbed areas" under the aforesaid Act, would be reviewed within a period of three months from 20-8-1997.

3. The situation was last reviewed in September. 2001 and vide Notification bearing SO 932(E), dated 18-9-2001, it was decided to extend the tenure of the declaration of Tirap and Changlang as 'disturbed areas' upto 31-3-2002. A further review of the law and order situation in Tirap and Changlang districts has since been undertaken. The State Government has intimated about reports on law and order detailing a number of encounters between Security Forces and NSCN(IM), NSCN(K), ULFA, distribution of subversive literature by undergrounds attempts at extortion and seizure of Arms and Ammunition from the undergrounds during the period under review.

4. The State Government have reported, that in Tirap and Changlang the Army and Para Military Forces are engaged in counter insurgency operations to flush out the militants. The State Government have also recommended that these two districts be continued to be declared as disturbed.

5. In the light of the above, the Central Government is of the opinion that the situation in Tirap and Changlang districts is disturbed and that conditions exist for the use of armed forces in aid of civil power. It is, therefore, decided that the notificaion dated 17th September, 1991 of this Ministry mentioned above, will remain in force upto 30th September, 2002 unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-MZ]

SURENDRA KUMAR, Jt. Secy. (NE)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.